

माननीय न्याय दंडाधिकारी, (प्रथम वर्ग) रेल्वे न्यायालय, कल्याण

“शिकायत पत्र (BNSS- 2023 धारा 223(1) के तहत)

SCC. No. 8893 Date

- 1) आर.पी.एफ. पोस्ट : कल्याण मण्डल, मुंबई CR. No. 2052/26 धारा 135(1) रेल अधिनियम
2) घटना की तारीख : 08/06/26 समय 9:30 घटना स्थल T. NO. 320
3) आरोपी का नाम नरेन्द्र सिंह S/O रीतमन उम्र 22 वर्ष धन्दा मजदूर

स्थानीय पत्ता : गवाहा मजदूर मो. नं.
स्थायी पत्ता :

- 4) आरोपी की चेहरा पट्टी : उँचाई 5'4" रंग सावला शरीर सामान्य पहचान चिन्ह
5) फिर्यादी का नाम व पत्ता : H.C. ठाकुर वर्मा

6) आरोपी को गिरफ्तार करने का तारीख : समय स्थान

7) आरोपी को गिरफ्तार करने अधिकारी का नाम और पता :

8) जप्त संपत्ति का विवरण व किमत :

9) रेल्वे को हानी / नुकसान :

10) गिरफ्तारी के कारण (BNSS की धारा 35(1) (b) (II) के तहत

1) रेल्वे परिसर में कोई और अपराध को करने से रोकने, रेल यातायात सुनिश्चित करने हेतु ।
2) अपराध की समुचित जांच करने हेतु ।

3) अपराध से संबंधित साक्ष्य को प्रभावित करने से निर्धारित करने हेतु ।

4) रेल से संबंधित तथ्यों से परिचित के उन्हें उजाकर करने आरोपी द्वारा रोकने से निवारित करने हेतु ।

5) उक्त आरोपी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है ।

11) आरोपी की गिरफ्तारी मेमो द.प्र.सं. की धारा 41(1) (b) (II) के तहत बनाने का तारीख : समय स्थान

B) गवाहों का विवरण : गवाहों नं. 1

गवाहों नं. 2

C) गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार मित्र जिसे गिरफ्तार की सूचना दी गई (नाम)

12) आरोपी को जांच अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है या नहीं

13) जांच अधिकारी का नाम व पद : H.C. ठाकुर वर्मा

14) अपराध का संक्षिप्त विवरण : उक्त व्यक्ति रेल के साइडिंग क्षेत्र में यात्रा कर रहा था

आदेश
आरोपी नरेन्द्र सिंह यांस रेल्वे सुरक्षा बल में वर्णित अपराध किया है। अतः मान. रेलवे न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरुद्ध शिकायत पत्र 2023 च्या कलम 34 (3) प्रमाणे दिलेल्या नोटीसनुसार 08/06/2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर आग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
नोट: आरोपी की गिरफ्तारी व तलाशी द.प्र.सं. के प्रावधान के अधीन की गई है और गिरफ्तारी मेमो बनाकर आरोपी के रिश्तेदार/मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है एवं गिरफ्तार व्यक्ति को द.प्र.सं. में उपबंधित सभी सुविधाएँ मुहय्या की गई।

मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य & डी. के. बसु बनाम प. बंगाल राज्य के आदेश के न्याय निर्णय में दिये गये सभी दिशा निर्देशों और मानवाधिकार का अनुपालन से सभी निदेशों का पूर्णतः पालन किया गया है।

आरोपी का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी : नारेन्द्र सिंह

फिर्यादी का हस्ताक्षर

गवाह नं. 1 का हस्ताक्षर

गवाह नं. 2 का हस्ताक्षर

जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

particulars of the offence and charges as per rule read over and explained to the accused.

Q 1 :- Have you understood the Same ?

Ans: Yes

Q.2 :- Do you plead guilty to the same voluntarily ?

Ans: Yes

Judicial Magistrate, F.C.
Rly. Court, Kalyan

ORDER

J/s 275 of the BNSS, 2023, I accept the plea of guilt and convict the accused for Offence Punishable U/s 155 DA

He is sentenced to pay fine of 200 Rs. 200 I/D. to suffer S.L. for 02 days

Judicial Magistrate F.C.
Rly. Court, Kalyan

Fine Paid 200/-

Sr. Clerk (C & F)
Railway Court, Kalyan